

# न्यायालय सहायक कलक्टर, दीगोद (कोटा)

उनवान संख्या

136/19

पीठासीन अधिकारी - जबर सिंह (R.A.S.)

तारीख दायरा

08.11.2019

तारीख फैसला

02/12/2019

## उनवान

कौशल किशोर आत्मज रामेश्वर जाति मीणा निवासी बम्बूलिया रावतान तहसील दीगोद जिला कोटा राज०

- वादी

## बनाम

1. रामेश्वर आत्मज श्रीकिशन
2. लोकेश कुमार आत्मज रामेश्वर जाति मीणा निवासी बम्बूलिया रावतान तहसील दीगोद
3. सुनीता पुत्री रामेश्वर पत्नी लोकेश जाति मीणा निवासी जालिमपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा
4. संगीता कुमारी पुत्री रामेश्वर पत्नी रजनीश जाति मीणा निवासी दोलतपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
5. कविता कुमारी पुत्री रामेश्वर पत्नी शिव कुमार जाति मीणा निवासी देवली अरब तहसील लाडपुरा जिला कोटा
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

-प्रतिवादीगण

## वाद अन्तर्गत धारा 88-89 आर.टी.एक्ट

उपस्थित - श्री शिवप्रसाद शर्मा एडवोकेट वादी की ओर से

- श्री रामबाबू दाधीच, श्री विजय सक्सेना एडवोकेट प्रतिवादी नं० 1 लगायत 5

## निर्णय

वादी ने वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88-89 आरटीएक्ट, इस कथन के साथ पेश किया कि ग्राम बम्बूलिया रावतान तहसील दीगोद में प्रतिवादी नं० 1 के खातों में ख०नं० 37/1 रकबा 0.80 हे०, ख०नं० 62 रकबा 0.99 हे०, ख०नं० 71 रकबा 0.61 हे०, ख०नं० 82 रकबा 0.64 हे०, ख०नं० 162 रकबा 0.80 हे०, ख०नं० 164 रकबा 0.68 हे०, ख०नं० 167 रकबा 1.23 हे०, ख०नं० 191 रकबा 0.12 हे०, ख०नं० 192 रकबा 0.30 हे०, ख०नं० 194 रकबा 0.08 हे०, ख०नं० 262 रकबा 0.07 हे०, ख०नं० 307 रकबा 0.07 हे०, ख०नं० 340 रकबा 0.08 हे०, ख०नं० 341 रकबा 0.23 हे०, ख०नं० 346 रकबा 0.02 हे०, ख०नं० 361 रकबा 0.05 हे०, ख०नं० 364 रकबा 0.34 हे०, ख०नं० 368 रकबा 0.02 हे०, ख०नं० 373 रकबा 0.04 हे०, ख०नं० 374 रकबा 0.01 हे०, ख०नं० 376 रकबा 0.08 हे०, ख०नं० 378 रकबा 0.29 हे०, ख०नं० 379 रकबा 0.22 हे० कुल कित्ता 23 रकबा 7.77 हे० भूमि दर्ज चली आ रही है। उक्त भूमि प्रतिवादी नं० 1 के खातों दर्ज चली आ रही है, जो पुश्तेनी भूमि है। जिसमें वादी व प्रतिवादी नं० 1 ता 5 का बराबर-बराबर हिस्सा है मौके पर इसी प्रकार काबिज काश्त है। प्रतिवादी नं० 1 अन्य प्रतिवादीगण के बहकावों में आकर उक्त भूमि को खुर्द बुर्द व बैचान करने पर आमादा है। इस कारण राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी नं० 1 के साथ वादी व प्रतिवादी नं० 2 ता 5 का

नाम दर्ज करवाने की दिनांक 03.11.2019 को कहा तो वे नाराज हो गये और नाम दर्ज करवाने से इन्कार कर दिया। जिससे वाद कारण उत्पन्न हुआ।

वाद प्रस्तुत कर वादी ने निवेदन किया कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे- ग्राम बम्बूलिया रावतान तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 430/37 रकबा 0.80 हे0, ख0नं0 62 रकबा 0.99 हे0, ख0नं0 71 रकबा 0.61 हे0, ख0नं0 82 रकबा 0.64 हे0, ख0नं0 162 रकबा 0.80 हे0, ख0नं0 164 रकबा 0.68 हे0, ख0नं0 167 रकबा 1.23 हे0, ख0नं0 191 रकबा 0.12 हे0, ख0नं0 192 रकबा 0.30 हे0, ख0नं0 194 रकबा 0.08 हे0, ख0नं0 262 रकबा 0.07 हे0, ख0नं0 307 रकबा 0.07 हे0, ख0नं0 340 रकबा 0.08 हे0, ख0नं0 341 रकबा 0.23 हे0, ख0नं0 346 रकबा 0.02 हे0, ख0नं0 361 रकबा 0.05 हे0, ख0नं0 364 रकबा 0.34 हे0, ख0नं0 368 रकबा 0.02 हे0, ख0नं0 373 रकबा 0.04 हे0, ख0नं0 374 रकबा 0.01 हे0, ख0नं0 376 रकबा 0.08 हे0, ख0नं0 378 रकबा 0.29 हे0, ख0नं0 379 रकबा 0.22 हे0 कुल कित्ता 23 रकबा 7.77 हे0 भूमि में प्रतिवादी नं0 1 के साथ वादी व प्रतिवादी नं0 2 ता 5 को सहखातेदार बराबर-बराबर हिस्से से खातेदार घोषित किया जावे। प्रतिवादी नं0 6 को निर्देशित किया जावे कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें। वाद व्यय एवं अन्य न्यायोचित सहायता हो वह भी वादी को प्रदान की जावे।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी नं0 1 लगायत 5 की ओर से वकील श्री रामबाबू दाधीच का वकालतनामा प्रस्तुत हुआ। दौरानें वाद उभयपक्ष के मध्य राजीनामा हो गया। उभयपक्ष द्वारा उपस्थित होकर प्रकरण में राजीनामा प्रस्तुत किया। राजीनामा उपस्थित पक्षकारान् को पढकर सुनाया गया, जिस पर पक्षकारान् ने सहमति जाहिर की। वादी की पहचान वकील श्री शिवप्रसाद शर्मा व प्रतिवादी नं0 1 ता 5 की पहचान वकील श्री रामबाबू दाधीच द्वारा प्रमाणित की गई।

दस्तावेजी साक्ष्य में वादी द्वारा निम्न साक्ष्य प्रस्तुत किये-

1. प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम बम्बूलिया रावतान सं0 2074-77 खाता नं0 84

राजीनामा पर उभयपक्ष अधिवक्तागण को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रतिलिपि जमाबंदी सं0 2074-777 खाता नं0 84 के अनुसार विवादित आराजीयात् का प्रतिवादी नं0 1 रामेश्वर पुत्र श्रीकिशन जाति मीना खातेदार राजस्व अभिलेख से प्रमाणित है। वादी एवं प्रतिवादी नं0 2 ता 5, बाबूलाल की संतान है तथा वादी व प्रतिवादी नं0 1 लगायत 5 नें मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री किये जानें एवं प्रतिवादी नं0 3, 4, 5 द्वारा अपने स्वत्व वादी कौशन किशोर, प्रतिवादी नं0 1 रामेश्वर व प्रतिवादी नं0 2 लोकेश कुमार के पक्ष में त्याग दिये जानें की स्वीकारोक्ति प्रदान की है। जिससे वादी व प्रतिवादी नं0 1 व 2 प्रतिवादी नं0 3, 4, 5 के स्वत्वों को धारण करने के हकदार प्रकट होते हैं।

चूंकि प्रकरण पिता एवं संतान के मध्य पुश्तेनी भूमि में घोषणा को लेकर जैरकार है। प्रस्तुत प्रकरण पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के परिप्रेक्ष्य में विचारण करने के उपरान्त संतान का अपने पिता की पुश्तेनी आराजी में जन्म से ही स्वत्व निर्धारित हो जानें की

अवधारणा है। उभयपक्ष द्वारा प्रकरण में राजीनामा प्रस्तुत करने के परिणामस्वरूप प्रकरण में समस्त विवादको का अवसान हो जाना स्वाभाविक है। जिससे वादी अपने पिता की पुश्तेनी आराजी में अपने स्वत्वों की घोषणा करवाने का अधिकारी है।

लिहाजा वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम बम्बूलिया रावतान तहसील दीगोद स्थित ख०नं० 430/37 रकबा 0.80 हे०, ख०नं० 62 रकबा 0.99 हे०, ख०नं० 71 रकबा 0.61 हे०, ख०नं० 82 रकबा 0.64 हे०, ख०नं० 162 रकबा 0.80 हे०, ख०नं० 164 रकबा 0.68 हे०, ख०नं० 167 रकबा 1.23 हे०, ख०नं० 191 रकबा 0.12 हे०, ख०नं० 192 रकबा 0.30 हे०, ख०नं० 194 रकबा 0.08 हे०, ख०नं० 262 रकबा 0.07 हे०, ख०नं० 307 रकबा 0.07 हे०, ख०नं० 340 रकबा 0.08 हे०, ख०नं० 341 रकबा 0.23 हे०, ख०नं० 346 रकबा 0.02 हे०, ख०नं० 361 रकबा 0.05 हे०, ख०नं० 364 रकबा 0.34 हे०, ख०नं० 368 रकबा 0.02 हे०, ख०नं० 373 रकबा 0.04 हे०, ख०नं० 374 रकबा 0.01 हे०, ख०नं० 376 रकबा 0.08 हे०, ख०नं० 378 रकबा 0.29 हे०, ख०नं० 379 रकबा 0.22 हे० कुल किता 23 रकबा 7.77 हे० भूमि में वादी कौशल किशोर, प्रतिवादी नं० 2 लोकेश कुमार को प्रतिवादी नं० 1 रामेश्वर के साथ बहिस्सा बराबर सहखातेदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी नं० 3 ता 5 द्वारा अपने स्वत्व त्यागने के परिणामस्वरूप सम्बन्धित से नियमानुसार मुद्रांक शुल्क (हकत्याग) वसूल कर तहसीलदार पालना प्रेषित करें, रहन यथावत् रहेगा। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हों। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 2/12/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जबर सिंह)  
 सहसहायक कलक्टर एवं  
 कावेरि मोद  
 दीगोद (कोटा)

अन्तिम डिक्री मुकदमा  
(आ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)  
अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा

उनवान

कौशल किशोर आत्मज रामेश्वर जाति मीणा निवासी बम्बूलिया रावतान तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

— वादी

बनाम

1. रामेश्वर आत्मज श्रीकिशन
2. लोकेश कुमार आत्मज रामेश्वर जाति मीणा निवासी बम्बूलिया रावतान तहसील दीगोद
3. सुनीता पुत्री रामेश्वर पत्नी लोकेश जाति मीणा निवासी जालिमपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा
4. संगीता कुमारी पुत्री रामेश्वर पत्नी रजनीश जाति मीणा निवासी दोलतपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
5. कविता कुमारी पुत्री रामेश्वर पत्नी शिव कुमार जाति मीणा निवासी देवली अरब तहसील लाडपुरा जिला कोटा
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

—प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88-89 आर.टी.एक्ट  
मिसल नम्बर-136/19

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू मुझ जबर सिंह आर.ए.एस. बहाजिरी श्री शिवप्रसाद शर्मा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रुबरु मिनजानिब श्री रामबाबू दाधीच एडवोकेट मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि "वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम बम्बूलिया रावतान तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 430/37 रकबा 0.80 हे0, ख0नं0 62 रकबा 0.99 हे0, ख0नं0 71 रकबा 0.61 हे0, ख0नं0 82 रकबा 0.64 हे0, ख0नं0 162 रकबा 0.80 हे0, ख0नं0 164 रकबा 0.68 हे0, ख0नं0 167 रकबा 1.23 हे0, ख0नं0 191 रकबा 0.12 हे0, ख0नं0 192 रकबा 0.30 हे0, ख0नं0 194 रकबा 0.08 हे0, ख0नं0 262 रकबा 0.07 हे0, ख0नं0 307 रकबा 0.07 हे0, ख0नं0 340 रकबा 0.08 हे0, ख0नं0 341 रकबा 0.23 हे0, ख0नं0 346 रकबा 0.02 हे0, ख0नं0 361 रकबा 0.05 हे0, ख0नं0 364 रकबा 0.34 हे0, ख0नं0 368 रकबा 0.02 हे0, ख0नं0 373 रकबा 0.04 हे0, ख0नं0 374 रकबा 0.01 हे0, ख0नं0 376 रकबा 0.08 हे0, ख0नं0 378 रकबा 0.29 हे0, ख0नं0 379 रकबा 0.22 हे0 कुल किता 23 रकबा 7.77 हे0 भूमि में वादी कौशल किशोर, प्रतिवादी नं0 2 लोकेश कुमार को प्रतिवादी नं0 1 रामेश्वर के साथ बहिस्सा बराबर सहखातेदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी नं0 3 ता 5 द्वारा अपने स्वत्व त्यागने के परिणामस्वरूप सम्बन्धित से नियमानुसार मुद्रांक शुल्क (हकत्याग) वसूल कर तहसीलदार पालना प्रेषित करें, रहन यथावत् रहेगा।" तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 02/12/2019 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा

स्टाम्प अर्जी दावा


Judgement/ACMDIGOD/88-89RTA/136/19

Page 4

परामर्शक अजय कुमार एच  
कार्यपालक न्यायाधिक  
दीगोद (कोटा)

मुद्दे	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना-अपना वहन करेंगे।



(जबर सिंह)

सहायक कलेक्टर एवं  
दीगोद  
कार्यपालक सहायक  
दीगोद (कोटा)